Toppersnotes
Unleash the topper in you

BPSC

बिहार लोक सेवा आयोग

पेपर – III || भाग – III

आंतरिक सुरक्षा

SIERRA INNOVATIONS

विषय-सूची

आंतरिक सुरक्षा

1. आंतरिक सुरक्षा 1
2. विकास व उग्रवाद 6
3. सीमा-प्रबंधन 23
4. संगठित अपराध का वर्गीकरण 37
5. इस्लामिक जेहाद और भारत की सुरक्षा 42
6. धनशोधन 46
7. सूचना संचार तकनीक और आंतरिक सुरक्षा की चुनौती 51
8. विभिन्न सुरक्षा बल और उनके अधिदेश 56

पर्यावरण, जैव-विविधता

1. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 58
2. पर्यावरणवाद 60
3. जनसंख्या 64
4. प्रवासन 68
5. समुदाय 69
6. पारिस्थितिक तंत्र 72
7. जलवायु परिवर्तन 77
8. विश्व में पर्यावरण आंदोलन 89
9. कृषि व पर्यावरण 101

10. भारत में हरित क्रांति 106
11. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन 109
12. ओजोन परत 110
13. जैव-विविधता 115
14. प्राकृतिक चक्र 120
15. प्रदूषण 122
16. बायोचार 127
17. भारत में जैव-विविधता हॉट-स्पॉट 129

आंतरिक सुरक्षा – मूल अवधारणा

अर्थ/बाह्य सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य

आंतरिक सुरक्षा से जुडे दृष्टिकोण या आयाम

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का विकास के बाद आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विभिन्न कारण – आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विकास के कारण निवारक सिद्धांत –

आंतरिक सुरक्षा का अर्थ :–

21 वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा निरंतर नए आयामों से जुड रही है। पहले इसका स्वरूप राष्ट्रीय हुआ करता था। अब यह पर–राष्ट्रीय (Trans National) व वैश्विक (Global) हो गई।

National Security राष्ट्रीय सुरक्षा
Trans National पर–राष्ट्रीय
Global Security वैश्विक सुरक्षा

इन चुनौतियों के उभरने में वैश्वीकरण व अपराध के आधुनिकीकरण दोनों की भूमिका है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्नोडन के खुलासे व ISIS के उभार से नवीन चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। स्नोडन का खुलासा Cyber Security व ISIS –Global Security आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों को जानने से पहले इस मूल अवधारणा पर विचार आवश्यक है–
आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य है किसी देश की सीमाओं के अंदर स्थापित सुरक्षा जो लोकव्यवस्था को निम्न बिंदुओं पर पृथक किया जा सकता है।

अंतर :–

आंतरिक सुरक्षा	बाह्य सुरक्षा
1. सीमाओं के अन्दर सुरक्षा	1. सीमाओं की सुरक्षा
2. कारण :– मुख्य रूप से आंतरिक देश के अंदर की समस्याएँ होती है।	2. कारण :– मुख्य रूप से बाह्य देश के बाहर की सुरक्षा
3. उद्देश्य–लोकव्यवस्था शांति व्यवस्था	3. देश की संप्रभुता– एकता व अखंडता की रक्षा करना
4. Home ministry- Para militry Forces, Police के माध्यम से	4. बाह्य सुरक्षा :–Defence Ministry सेना के विभिन्न अंगो व संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य निम्न बिंदुओं पर समझे जा सकते है।
1. देश के अंदर लोकव्यवस्था व शांतिव्यवस्था
2. भयमुक्त वातावरण का निर्माण
3. विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण

4. सामाजिक सौहार्द व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को लाना
5. संकीर्ण भावनाओं में नियंत्रण (जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद)
6. विधि के शासन की स्थापना
7. देश की संप्रभुता,एकता व अखंडता की रक्षा करना।

आंतरिक सुरक्षा-बाहय सुरक्षा में अंर्तसंबंध या उन्हें देखने का दृष्टि कोणः-

आंतरिक सुरक्षा को एकांकी रूप में परिभाषित या स्थापित नहीं कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा चार रूपों में पारिभाषित होती हैः-

1. आंतरिक चुनौतियाँः- वर्तमान में नक्सलवाद, सांप्रदायवाद, अलगाववाद
2. बाह्य चुनौतियाँः-वर्तमान में अवैध अग्रवरन हथियारों या मादक द्रव्यों की तस्करी
3. आंतरिक सह बाह्य :- यह वह स्थिति है। जब देश के अंदर की परिस्थितियाँ या देश के अंदर के शत्रु देश के बाहर के शत्रुओ की मदद करते हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था से संतुष्ट वर्ग जब बाहरी शत्रुओं जैसे- ISIS,ISI अलकायदा आदि आतंकवादी संगठनों का सहयोग करता है। उन्हें देश के अंदर उन्माद फैलाने में आतंकी घटनाओं को फैलाने में मदद करता है। उदा. ताज की घटना, संसद पर हमला, मुंबई बम विस्फोट।
4. बाह्य सह आंतरिकः- इसमें देश के बाहर के शत्रु देश के अन्दर की सुरक्षा चुनौतियों को गंभीर बनाने में सहयोग करते हैं। वे आंतरिक असंतोष को उग्र बनाते हैं। और आर्थिक हथियारों से मदद करते है, आर्थिक,तकनीकी,सामरिक मदद भी करते हैं।
   उदा.- मुजफ्फरनगर की घटना के बाद भर्ती अभियान चलाना, ISIS के द्वारा भारतीय युवाओं को बहकाना।
   उत्तरी-पूर्वी राज्यों के असंतोष चीन,वर्मा,बांग्लादेश से मदद करना।

इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ अलग देखी नहीं जा सकती। वैश्वीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने इन्हें आपस मे इतना जोड दिया है, कि कौन-सी चुनौती आंतरिक है, कौन सी बाह्य। इन्हें अलग पहचानना अत्यंत मुश्किल है। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कौटिल्य वर्णित चारों चुनौतियों के रूप भारत में दिखाई देते हैं।

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का विकास :-

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एक दीर्घकालिक,राजनीतिक, प्रशासनिक असफलता का परिणाम है। ब्रिटिश के समक्ष क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन और सांप्रदायिकता आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के रूप में थे 1940 के पहले उनके कुशल नियंत्रण से अराजकता की स्थिति दिखाई नहीं देती है। 40 के दशक मे पाकिस्तान आन्दोलन आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियाँ विरासत से मिलती है। जैसे-

1. शरणार्थियों का संघर्ष 2. सांप्रदायिक संघर्ष (विभाजन के दौरान)
3. रियासतों के एकीकरण के आन्दोलन
4. पाकिस्तान प्रेरित कश्मीर का हमला - कश्मीर की सुरक्षा
5. भाषायी राज्यों का संघर्ष

6. आर्थिक वचन (अमीर गरीब की खाई)
7. सामाजिक वचन

1956 में भाषायी पुर्नगठन से क्षेत्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इसी प्रकार भूमि सुधार कानूनों से हमने वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि बना दी गई। जो 1960 का दशक आंतरिक सुरक्षा की गंभीरतम् चुनौती को सामने लाता है। जिसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का पृथकीय आधार पर गठन हुआ। जिन्होंने अपने संकीर्ण हितों के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषायी संघर्ष और सांप्रदायिकता को भी उभारा।

<u>70 का दशकः-</u> 70 के दशक की शुरूआत बांग्लादेश युद्ध के साथ होती है, जिसने बांग्लादेशी शरणार्थियों के रूप में उत्तर-पूर्व के राज्यों में व उत्तर राज्यों में आंतरिक संघर्ष को उभारा। वर्तमान में इन्ही में से अनेक अवैध शरणार्थी सम्पूर्ण राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। वर्धमान विस्फोट-2014 दिसम्बर के असम के दंगे ये बांग्लादेशी शरणार्थीयों को पकडा जाना। 70 के दशक में ही जे पी का सिविल सोसाइटी आन्दोलन किसी ना किसी रूप में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादित्याँ भी आंतरिक असंतोष को गहरा करती है।

उदाहरण - आंतरिक सह बाहय व बाहय सह आंतरिक

<u>80 का दशक</u> :- 1980 का दशक अलगाववाद की विशेष चुनौती लेकर सामने आता है, जिसे खालिस्तान आन्दोलन कहते हैं। इसके कारण आन्तरिक व बाह्य दोनों थे। इसके परिणाम स्वरूप आपरेशन ब्लूस्टार उसके प्रति उत्तर में इंदिरा गांधी की हत्या। इन घटनाओं ने निरंतर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को गंभीर किया।

1981 में राजीव गांधी का श्रीलंका में शांति सेना भेजने का निर्णय भारतीय तमिलों के असंतोष का कारण बना। इसी दौर में राम जन्म भूमि आन्दोलन रथ यात्रा सांप्रदायिक उन्माद को बढाती है। जिसकी परणिती (अंत) बाबरी मस्जिद विघटन की दुःखद घटना के रूप में सामने आती है।

<u>90 का दशक</u> :- 90 के दशक की शुरूआत बाबरी विघटन के बाद उभरे सांप्रदायिक तनाव से होती है। जो बम्बई बम विस्फोट उसके बाद हुए दंगो और इस्लामिक कट्टरवाद के उभार को जन्म देती है। इसके बाद भारत में धार्मिक असहिष्णुता एक स्थायी स्थिति बन जाती है, जो गोधरा 2002 व 2012 मुजफ्फरनगर दंगे व हाल की दादरी घटन 2015 में दिखती है। और अब इस्लामिक कट्टरवाद ही नहीं तथा कथित उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद जिसे हम भगवा राष्ट्रवाद आतंकवाद कह रहे है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। 21वीं सदी में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ विशिष्ट या वैश्विक व गंभीर प्रतीत होती है जिसके मूल में

1. LPG का असंतोष है।
2. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का असंतोष
3. आर्थिक अपराधों का आधुनिकीकरण है।
4. वैश्विक संगठित अपराध है
5. वैश्विक आतंकवाद है-(Global Lessorism)
6. राष्ट्रों के बीच उभरता संप्रभुता व सीमाओं का विवाद है

सीरियां की लडाई
आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विविध रूप–

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विकास के कारण:–

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ विविध रूपो में दिखाई देती है। ये विशिष्ट प्रशासनिक राजनैतिक असफलता का परिणाम है। लेकिन इसे सिर्फ प्रशासनिक तंत्र की सीमाओं से जोडकर देखना उचित नही है। कहीं ना कहीं यह राजनीतिक तंत्र की नीतिगत विफलता का परिणाम है। इसके मूल में सामाजिक–आर्थिक वंचन की भावना है जो नागरिक असंतोष को उग्ररूप में सामने लाती है। तकनीकों का दुरूपयोग जैसी चुनौतियों का आधार है और सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना नृजातीय तनाव को बढा रही है। लेकिन अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण कारण तो नैतिक मूल्यों के पतन में छिपा है।
जब सरकार व नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों से विमुख हो जायेंगे तब आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलना स्वभाविक है।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के निवारण के सिद्धांत –

1. राजनीतिक सहभागिता का सिद्धांत :–
   देश के अंदर नियमित चुनाव करवाना , असंतुष्ठों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोडना
   पंचायती राज को प्रभावी बनाना , वंचित वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
   उदा. दार्जीलिंग हिल Council की स्थापना
2. प्रशासनिक कार्यकुशलता का सिद्धांत– जब प्रशासन जवाबदेह, पारदर्शी, जनोन्मुखी होगा
3. सांस्कृतिक संरक्षण का सिद्धांत– Article 29, 30 संविधान में सकारात्मक सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण जरूरी है। यह संवैधानिक वैधानिक प्रावधान तथा सभी वर्गो का सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण जरूरी है। बशर्ते वह तार्किक व नैतिक हो।
4. सामाजिक उत्थान का सिद्धांत– गरीबी बेरोजगारी वचन की भावना को समाप्त किया जा सकत
5. वैधानिक दबाव का सिद्धांत – न्याय प्रक्रिया को इसके अंतर्गत कठोर बनाया जाए, तीव्र न्याय प्रक्रिया विधिक जागरूकता कल्याणकारी तकनीक का सिद्धांत तकनीक मूल्यतटस्थ होती है। सदुपयोग व दुरूपयोग भी हो सकता है। मानव कल्याण के लिए हो।

आर्थिक समानता का सिद्धांत– आर्थिक समानता वंचन नहीं होगा
दायित्व बोध का सिद्धांत– नागरिक राष्ट्र के प्रति कानून व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और विधि के शासन का पालन करें।

संवैधानिक दायित्वों का सिद्धांत –

कानूनी प्रभाव देना FR की स्थापना भाग 3 के मूल अधिकारों का न्यायलय में प्रवर्तनीय होना। Article 244 अनुसूची 5 व 6 प्रस्तावना मे चार उद्देश्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व न्याय को उद्देश्यों को परिभाषित करना। भाग 4 में, समाजवादी, गांधीवादी उद्देश्यों के साथ सरकार पर नैतिक दबाव,
भाग 10–
244 अनुच्छेद– क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था जिसके लिए अनुसूची 5 व 6 बनाई गई।
भाग 16–

Article 330 to 342 वंचित वर्गो के कल्याण से जुडे विशेष प्रावधान ।

भाग 41–

पंचायती राज द्वारा वंचितो का सशक्तिकरण PESA के द्वारा Sch. Area में इनको विस्तारित किया जानां

भाग 18–

आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से आंतरिक अशांति के नियंत्रण का अभाव।

भाग 21–

3 राज्यों के राज्यपालों द्वारा विशेष दायित्व 2 राज्यों के पिछडे क्षेत्रों के लिए N-E

विकास व उग्रवाद

विकास व उग्रवाद – नक्सलवाद

वैचारिक ग्रस्तता (उग्रवाद) + हिंसा – आतंकवाद

आतंकवाद + जनसमर्थन – अलगाववाद

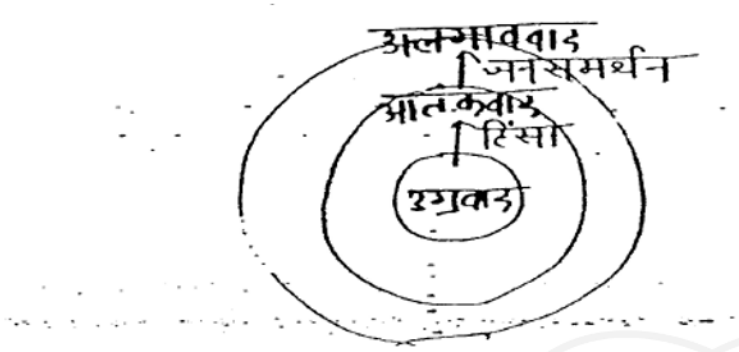

विकास से उग्रवाद को जन्म

नक्सलवाद – आंतकवाद (नक्सलवादी क्षेत्र) – उग्रविचारधारा– वर्ग संघर्ष भूमिहिनों का संघर्ष– भूमिधर व भूमिहीनों का शोषण– सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है।– जनसमर्थन– अलगाववाद

संकल्पना–

एक कल्याणकारी राज्य में सर्वांगीण विकास की अपेक्षा की जाती है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है– राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास जिसे हम राजनीतिक (लोकतंत्र), आर्थिक (संहाई), सामाजिक (शिक्षा,स्वस्थ्य,विकास पोषण), सांस्कृतिक, प्रशासनिक (सुशासन), तकनीक वैधानिक के रूप में देखते हैं। लेकिन विकास के विकास असंतुलित असमान नजर आता है। तो वंचितो का असंतोष एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और यही असंतोष उग्रवाद, आतंकवाद,अलगाववाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के रूप में सामने आता है। ये उग्र आतंक, अलगाववाद मूलतः एक विचारधारा पर आधारित संघर्ष है, जो वर्तमान व्यवस्था से अपने असंतोष को जाहिर करता है, और व्यवस्था परिवर्तन या सुधार के लिए संघर्ष करता है।

विकास व उग्रवाद अंर्तसंबंध :–

विकास व उग्रवाद के अंर्तसंबंधों को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। स्वतंत्र दृष्टिकोण के अनुसार ये दोनों एक दूसरे से पृथक अवधारणाएँ है। यह सच है अल्प विकास उग्रवाद का एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं। उग्रवाद के मूल में अल्पविकास से अलग, अनेक राजनीतिक प्रशासनिक या नृजातीय कारण भी होते है।

निर्भरदृष्टिकोण (Dependary approach) :–

इसके अनुसार विकास व उग्रवाद की अवधारणा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुडी है। यहाँ दोनों अवधारणाओं को विस्तृत संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। विकास सर्वांगीण व समावेशी रूप में प्रस्तुत होता है। और उग्रवाद आंतकवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद जातिवाद जैसे विविध रूपों में। विकास के जिस

रूप में वचन होगा, उग्रवाद का उससे संबंधित रूप उभरकर सामने आएगा। सांस्कृतिक वचन का परिणाम संप्रदायवाद, जातिवाद होगा। आर्थिक वंचन का परिणाम नक्सलवाद, क्षेत्रवाद होगा। और राजनैतिक व प्रशासनिक वचन का परिणाम अलगाववाद, आतंकवाद के रूप में दिखाई देगा

उल्लेखनीय है कि विकास व उग्रवाद का संबंध एक पक्षीय नहीं है, जहाँ एक ओर विकास से वचन उग्रवाद को जन्म देता है। दूसरी ओर उग्रवाद से उत्पन्न भय व असुरक्षा का वातावरण विकास को बाधित करता है। उग्रवाद से जुडे लोग अपने जनसमर्थन को बनाए रखने के लिए विकास कार्यों को पूरा नहीं होने देते ताकि स्थानीय जनता में वंचन की भावना बनी रहे और वे वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट रहें।

इस प्रकार हम देखते है, अल्प विकास व उग्रवाद एक दुष्चक्र को जन्म देते है। जहाँ दोनो एक दूसरे के कारण व परिणाम है। और उनके अंर्तसंबंधों को अंडे मुर्गी संबंध के रूप में देखा जाता है।

वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद

मूल अवधारणा (विचारधारा)/(उद्देश्य)
उदय, विकास
कारण/प्रसार
रणनीति/कार्यक्रम
प्रभावों/परिणामों
प्रयास – वैधानिक
– संवैधानिक
– प्रशासनिक
– संस्थागत
– सफल उदाहरण

मूल अवधारणा :-

नक्सलवाद का प्रारंभ एक विचारात्मक सामाजिक आर्थिक संघर्ष के रूप में हुआ, जिसकी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद से प्रभावित थी, इसलिए इसे वामपंथी उग्रवाद कहा गया। इसका उद्देश्य वर्ग संघर्ष के द्वारा सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित करना था, जिसे इन्होंने जनसरकार का नाम दिया।

पहला चरण :- नक्सलवाद के मूल में भूमिहीनों का भूमिधरों के खिलाफ संघर्ष प्रमुख था, जो भूमि सुधारों की असफलता से जुडा हुआ था। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जब भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया तो वामपंथी प्रभाव वाले राज्यों में सर्वहारा वर्ग (जमीन नहीं है) की चेतना, (केरल, त्रिपुरा, पं.बंगाल) उग्र रूप में सामने आई। बंगाल के दार्जिलिंग जिले के तीन क्षेत्रों फांसीदेवा, खाडीबाडी, नक्सलवादी में चाय बागान मालिकों ने पुलिस से गठजोड कर जब निरीह मजदूरों की हत्या की, तो सिलीगुडी किसान सभा के एक सदस्य जंगल संथाल ने पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। नक्सलबाडी में एक आदिवासी किसान विमल को कोर्ट के आदेश के बावजूद जमींदारों ने जमीन का कब्जा नहीं सौंपा तो उस गाँव के किसानों ने जमींदार की संपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया। किसानों व मजदूरों को इस असंतोष को स्थानीय वामपंथी नेताओं ने अपना समर्थन दिया और CPM की दार्जिलिंग इकाई के जिला संयोजक चारू मजूमदार ने तराई दस्तावेज के नाम से 8 लेख प्रकाशित किए।

जो नक्सलवाद की विचारधारा के सर्वोच्च दस्तावेज कहलाते हैं। कानू सान्याल नामक वामपंथी नेता ने 1969 में साम्यवादी क्रांति के लिए एक संस्था बनाई जिसे CPI ML (माले) – मार्क्सवादी-लेनिननवादी) इस संस्था ने नक्सलवाद को संगठित ढांचा प्रदान किया। तत्पश्चात् नक्सलवादी आंदोलन धीरे धीरे बंगाल के बाहर प्रसारित होने लगा और 1970 आते आते बंगाल, बिहार, उडीसा में मुख्य रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया। तात्कालिक सरकार ने सेना का (Generalसैम मानिकशा के नेतृत्व में) प्रयोग कर इन्हें समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया और 1972 आते आते यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। और इसकी शेष शक्ति आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिए गए।

नक्सलवाद का उदय/विकास :

1967 से 1975 पहला चरण
1980 से 2004 द्वितीय चरण
2004 के बाद

दूसरा चरण – नक्सलवाद के उभार का दूसरा चरण 1980 के बाद दिखाई देता है, जब कोंडापल्ली सीतारमैया के नेतृत्व में PWG (Peoples was Group) का गठन होता है, इसका केन्द्र करीमनगर बनता है और त्रिसंगम सिद्धांत पर नक्सलवाद, आंध्रा, उडीसा, महाराष्ट्र में प्रसारित होता है। भौगोलिक जटिलता (पहाड जंगल) व राजनैतिक समन्वय का अभाव इसे उभारने में मदद करता है, लेकिन 90 की शुरूआत में जब जनार्दन रेड्डी आंध्रा के C.M. बनते हैं तब PWG में Ban लगाया जाता है। Unlawful Prevention act 1967 (गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून) के तहत प्रभावी गिरफ्तारियाँ की जाती है जिससे आंध्रा में कुछ नियंत्रण संभव होता है। लेकिन तब तक नक्सली CGके बस्तर क्षेत्र में अपना आधार मजबूत कर लेते हैं। इसी दौर में बिहार में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद के एक नए रूप को सामने लाता है, जिसे MCC (दलित) बनाम रणवीर सेना (उच्चजाति) के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार नक्सलवाद बिहार के रास्ते, नेपाल के माओवादियों से भी नैतिक व सामरिक समर्थन जुटाता है। व 2000 आते आते नक्सलवाद पशुपति से तिरूपति तक एक लाल गलियारों का (Red corridor) का निर्माण कर चुका होता है। इस दौर में LPG की नीतियाँ और उससे उभरा वंचन नक्सलियों के वन अधिकारों, भूमि अधिकार, विस्थापन भूमि-अधिग्रहण को मुद्दा बनाकर उन्हें व्यवस्था के खिलाफ करते हैं।

2000 के शुरूआत में नक्सलियों की आपसी लडाई, नेतृत्व संघर्ष, इनके दमन का अवसर देता है। लेकिन सरकार इसे भुना नहीं पाती और 2004 में नक्सली नेताओं में पुनः सहमति हो जाती है। PWG और MCCI का आपस में मिलकर CPIM बना लेते हैं जिससे इनकी ताकत बहुत बढ जाती है।

तीसरा चरण :- यह 2004 के बाद दिखाई देता है, जब नक्सलवाद, आतंकवाद का पर्याय बन जाता है– हत्याएं, हफ्तावसूली व समानान्तर जन सरकारें नक्सलवाद के केंन्द्र में होती है। और गीदम घाटी दर्माघाटी में जघन्य हत्याएँ या नरसंहार नक्सलियों के द्वारा किए जातें हैं। इसी दौर में नक्सलवादी Golden Triangle / Golden Corridor का निर्माण करते हैं, जो Pune, Ahmedabad, Jaipur के बीच स्थानीय आदिवासियों को प्रभावित करके बनाया जाता है। अब नक्सलवाद, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के साथ पश्चिमी भारत में भी फैल चुका । लगभग पूरा भारत नक्सलवाद व

अलगाववाद की चपेट में दिखाई देता व अशांत नजर आता है। और 2006 में पूर्व PMमनमोहन सिंह को यह स्वीकारना पडता है कि नक्सलवाद भारत की आंतरिकसुरक्षा के लिए सबसे बडी चुनौती है।

वर्तमान में भी देश के 20 राज्यों में 223 जिलों में 460 पुलिस स्टेशन में नक्सलवाद के प्रभाव को स्वीकार किया गया है, जिसमें 7 राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित बताया गया है –Bihar, Bengal, Jharkhand. odisha, CA, Andra + Telangana and maharastra– इन राज्यों में नक्सली एक व्यवस्थित रणनीति और कार्यक्रम के तहत अपनी समानान्तर सरकार चलाते हैं।

रणनीति → विकास स्तर पर

कार्यप्रणाली → व्यवहार स्तर पर

नक्सलियों के द्वारा अपने आंदोलन की शुरूआत बुद्धिजीवी आंदोलन से की, जिससे देशभर से बुद्धिजीवियों का नैतिक समर्थन जुटाया गया और फिर उनकी सहायता से अपना जनाधार बनाया गया।

दूसरे चरण में नक्सली पुलिस बल व सशस्त्र बल पर हमले करके भय व आतंक का वातावरण बनाते हैं। और जनता के बीच एक व्यवस्थित भर्ती अभियान भी चलाते हैं।

तीसरे चरण में नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रशासनिक तंत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और जनसरकार स्थापित करते हैं। जन अदालतें लगाते हैं भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती देते हैं।

व्यवहार

- तैयारी चरण (Preparation)
- प्रदर्शन (Jenorisiraton)
- गुरिल्ला युद्ध (Gorriila War)
- जन सरकार (People Govt)

कार्यप्रणाली :–

कार्यप्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले सरकारी प्रशासनिक संरचनाओं में हमले। दूसरा– पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों पर हमले। तीसरा– सार्वजनिक व्यवस्था से जुडी संरचनाओं को नुकसान। चौथा– Systmatic Brain Wash (व्यवस्थित मानसिक परिवर्तन)। 5thसरकार के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान। 6thबुद्धिजीवियों के बीच समर्थन जुटाना। 7thगरीबों, बेरोजगारों को प्रलोभन । 8th:– एक पक्षीय युद्ध विराम (जब सरकार की Alertness कम) 9th TCOC रणनीति Tactical counter offensive campaign इस दौरान वह हर साल May- Augustके बीच पुलिस बलों व अर्द्ध सैनिक बलों पर हमले तेज कर देते हैं और जिन क्षेत्रों में सरकारी तंत्र उपस्थित ना हो, वहाँ दुष्प्रचार अभियान चलाते हैं और व्यक्तिगत भर्तियाँ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नक्सली अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी संगठनों के साथ रणनीतिक संबंध बना रहे हैं।

North East में ULFA (United Liberation Front of assam)

कश्मीर :– आतंकी संगठन लश्कर ए तैय्यबा

श्रीलंका :–LTTE

ISI जैसी एजेंसियों के साथ भी धन प्रशिक्षण व तकनीकी व सैन्य सहायता के प्रमाण मिले हैं।

नक्सलियों ने अपने धन स्त्रोत को निरंतर बनाए रखने के लिए विविध स्त्रोत खोंजे हैं –

1. खनन आय में हिस्सा
2. वनों से होने वाली आय में हिस्सा
3. अपहरण व सरकारी डकैती
4. स्थानीय संपन्नों से Protection money (हफ्ता वसूली)
5. Human Trafficking (आदिवासियों की खरीद फरोख्त)
6. Drugs and arms trafficking
7. Real Estate कारोबार
8. भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन

कारण

1. Historical Reason British - वामपंथी विचारधारा विरासत, वर्ग विष भूमि सुधार कानून किसान – मजदूर संघर्ष, मालिक – मजदूर संघर्ष
2. Geographical Reason– भौगोलिक विलगता–सड़क बिजली, संचार नहीं,विकास का वंचन भौगोलिक जटिलता (पहाड,जंगल), त्रिबिंदु सिद्धांत
3. राजनीतिक कारण– नीतिगत विफलता, गंभीरता से ना लेना, आंतरिक समर्थन–कई राज्यों के मंत्रियों ने साठगांठ
4. प्रशासनिक कारण– प्रशासनिक तंत्र का अभाव, प्रशासनिक शोषण, प्रशासनिक कार्य कुशलता का अभाव
   आर्थिक वचन– पिछडापन, विषमता
5. सांस्कृतिक वंचन की भावना– बाहरी लोगों के प्रवेश के चलते
6. कानूनी असंतोष– वन संरक्षण कानून, बहुउद्देश्य परियोजनाएँ, वन सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून
   स्थानीय नेता, नक्सलवादी, भुना
7. मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक कारण–सरल, सहज लोग हैं (Brainwash) करना। समाजिक, सांस्कृतिक आधार पर उत्तेजित करना आसान होता है, भावनात्मक रूप से विचार धारा से जोडना आसान हो जाता है।
   विचार धारा को देश विरूद्ध से देश हित मे करना बहुत आवश्यक है।
8. Demographic imbalance - Bangladesh शरणार्थी, रोहिंग्या मुस्लिमों की समस्या, नेपाली भूटान Nigrats (तिब्बत)

उत्तर–पूर्वी राज्यों में असंतोष उपरोक्त कारणों का सम्मिलित परिणाम है। स्वतंत्रता के समय हमने इस क्षेत्र में एक राज्य असम NEFA (North East frontier Agency) नामक संघशासित क्षेत्र का निर्माण किया। लेकिन शीघ्र ही नृजातीय आधार पर पृथक राज्य की माँग की जाने लगी। पहला आन्दोलन

नागालैंड मे शुरू हुआ और 1963 में नागालैंड स्वतंत्र राज्य बना। 1972 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा राज्य के रूप में स्थापित हुए।

1986 में – मिजोरम आन्ध्रप्रदेश को राज्य का दर्जा मिला इस प्रकार वर्तमान मे हम जिन्हें 7 sisters कहते हैं, उनमें तीन राज्य नागालैंड, मणिपुर, असम अशांत राज्यों के रूप में है। त्रिपुरा व मिजोरम में प्रभावी राजनैतिक नेतृत्व में अपनी समस्याओं का समस्याओं का समाधान किया है, जबकि मेघालय व आन्ध्रप्रदेश सीमित रूप से समस्या ग्रस्त है। प्रत्येक राज्य में असंतोष को समझने के लिए राज्यवार विश्लेषण आवश्यक है।

<u>अरूणाचल प्रदेश</u> – स्वतंत्रता के बाद NEFA के रूप में पहचाना गया। Union Territory का दर्जा मिला। प्रभावी प्रशासन व राजनैतिक स्थिरता के चलते यह उग्रवाद से मुक्त रहा। लेकिन इस राज्य में स्थानीय असंतोष के कुछ कारण दिखाई दे रहे है

1. चीन द्वारा अधिग्रहण – अरूणाचल प्रदेश पूर्वी भाग–तीरथ, चांगलिंग, लोंगदिंग (NSCN) इसे नागालैण्ड में शामिल करना चाह रही है।
2. (South) दक्षिणी भाग– लोहित व दिवांग– वामपंथी उग्रवाद से परेशान है।
3. पश्चिमी भाग– भूटान से शरणार्थी
4. पूर्व – चीन उग्रवाद
5. मध्य भाग – चकमा व हाजोंग शरणार्थी Local Tribes को परेशान कर रहें है, आन्ध्रप्रदेश के रास्ते Drug smuggling आतंकवादी Transit Route बन गया है। (AP) AASU ने चकमा व हाजोंग के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। (All Assam student Union)

<u>मेघालय</u> – मेघालय Transist Route बना हुआ है नक्सली आतंकवद, मेघालय उत्तर–पूर्वी राज्यों मे सबसे कम समस्याग्रस्त राज्य के रूप में है यद्यपि यह बांग्लादेश से प्रत्यक्ष सीमा साझा करता है, लेकिन बांग्लादेशी शरणार्थी मेघालय मे बसने की बजाय उसका प्रयोग असम बंगाल जाने के मार्ग के रूप में करते है। इस प्रकार मेघालय स्मगलिंग (तस्करी), ड्रग ट्रग ट्रेफिकिंग (मादक द्रव्यों का आवागमन) मानव तस्करी के मार्ग के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इससे मेघालय की सांस्कृतिक अस्मिता पर भी संकट है। पहाडी आदिवासी बाहरी लोगों के आवागमन से भयाक्रांत है। 1992 में Hill National Liberation Council बनी –(ये पहला उग्रवादी संगठन था) जिसका उद्देश्य था खासी क्षेत्रों मे गारो या अन्य बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश रोकना। 2009 में GNLA. Garo National Libration Army बनी है जो गारी लैंड नामक इस संगठनों को अलग राज्य चाहता है।

<u>MIZORAM :-</u>

उत्तर–पूर्वी राज्यों की अशांति के बीच मिजोरम का राजनैतिक मॉडल एक आशा की किरण है। उल्लेखनीय है कि 1966 से 1986 के बीच मिजोरम सर्वाधिक अशांत राज्यों मे से था। जिसके कारण ये 1960 का अकाल, प्रशासनिक अनदेखी जिसे मातम कहते है। सरकार असंवेदनशील बनी रही। 1966 मे लाल डेंगानेतृत्व में MNF व Mizo National front बना। जिसने अलग देश की माँग की विलय को गलत बताया। 1966 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 2–दिन बाद स्वतंत्रता की घोषणा पर सेना हमले हुए, तब हवाई हमलों से जनता में भारी असंतोष आ गया। इसका लाभ

प्रभाव :-

1. सकारात्मक प्रभाव 2. नकारात्मक प्रभाव

1. <u>सकारात्मक प्रभाव</u> :-
   1. नक्सलवादी आंदोलन ने भूमि के पुर्नवितरण को प्रभावी बनाया ।
   2. भूमि सुधारों को नई दिशा दी है।
   3. प्रशासनिक शोषण में कमी आई है।
   4. सामाजिक अत्याचार व शोषण भी कम हुआ है।
   5. वंचितों का सशक्तिकरण हुआ है।
   6. सामंतवादी मानसिकता पर प्रहार हुआ है।
   7. कई जगहों पर राजनीतिक जवाबदेहिता भी बडी है- उपरोक्त बातें नक्सलवादी आंदोलन के प्रारंभिक दौर से प्रेरित हैं। 1990 के बाद यह आंदोलन अपनी मूल विचार धारा से पूर्णतः भटक गया। सर्वहारा गणतंत्र का लक्ष्य कहीं खो गया। पहले हिंसा ही साध्य है। और जिन वंचितों के लिए यह आंदोलन खडा किया गया था, उन्हीं का शोशण किया जाने लगा।

बाल संघम – 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नक्सली बनाने का प्रयास जब जबरदस्ती नक्सली बनाया जाता है।

नक्सवादी आंदोलन की दुर्बलताएँ और Wall of defence की अवधारणाएँ (बच्चों व महिला को आगे छिपने के लिए) जहाँ महिलाओं व बच्चों को सुरक्षा दीवार की तरह उपयोग किया जाता है। नक्सली नेताओं की विलासितता, उनका वर्चस्वता का संघर्ष और उनकी गतिविधियों में बढती क्रुरता, इन सब ने नक्सलियों के वैचारिक व आधारिक आधारों को कमजोर किया (नैतिक, सामाजिक व वैधानिक जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है। वर्तमान में नक्सलवाद राष्ट्रद्रोही आन्दोलन के रूप में है।

<u>नकारात्मक प्रभाव</u> :-

नक्सलवाद के नकारात्मक प्रभावों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है –

1. संप्रभुता को चुनौती
2. आंतरिक सुरक्षा को चुनौती
3. राष्ट्र विरोधी ताकतों को
4. संगठित अपराध की कडी
5. प्रशासनिक शून्यता
6. विकासात्मक गतिरोध
7. नरसंहार व सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति
8. भय व आतंक का वातावरण
9. विधि के शासन पर प्रश्न चिन्ह

   नक्सलवाद की दुर्बलताओं के बावजूद हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सके क्योंकि इससे निपटने से जुडी सरकारी रणनीति में अनेक कमियां रहीं हैं।

1. हमने इस समस्या की पहचान वर्गसंघर्ष के प्रति की ना कि राजद्रोह के रूप में।
2. दूसरी सबसे बडी समस्या वोट बैंक की राजनीति के लिए नक्सलियों को राजनीतिक पराजय
3. तीसरा नक्सलियों का कमजोर होने के दौर में प्रभावी कार्यवाही या प्रभावी रणनीति ना बना पाना।
4 नक्सलियों के रक्त स्त्रोत या धन पर नियंत्रण ना कर पाना।
5 नक्सलियों के वैचारिक समर्थकों के खिलाफ कठोर रणनीति ना होना।
6 नक्सलवाद की जघन्य घटनाओं के बावजूद (Counter attack) त्वरित जवाब न दिया जाना।
7 सेना के प्रयोग पर आपसी असहमति को नक्सलियों के समक्ष जाहिर करना।
8 खुफिया तंत्र की विफलता स्थानीय खुफिया तंत्र का विकास नहीं कर पाए।
9 सुरक्षा बलों व पुलिस के बीच समन्वय का अभाव
10 Interstate operation के बीच आपसी समन्वय का ना होना – विशेषकर त्रिसंघम राज्यों में
11 नक्सलियों के Sleepar cells का पता ना लगा पाना।
12 नक्सलियों से लडने के लिए सुरक्षा तंत्र में आधुनिकीकरण खुफियातंत्र के उन्नयन, और कार्मिकों के प्रशिक्षण की जरूरत है।

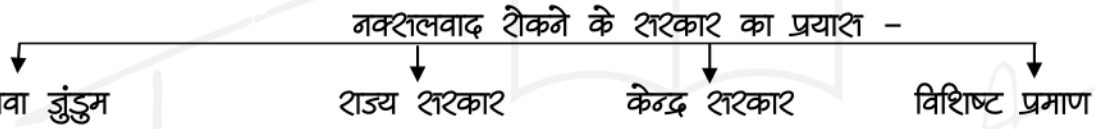

CG राज्य में सलवा जुंडुम को नक्सलविरोधी जन आंदोलन के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शुद्धता का प्रयास

इसे स्थानीय लोगों द्वारा 'सबला' (सभी का अर्थात् सामूहिक शांति स्थापना का प्रयास भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के नेता थे – बस्तर के महेन्द्र शर्मा थे, जिन्होंने नक्सलियों से नाराज स्थानीय आदिवासियों को हथियार बंद सेना के रूप में खडा किया। सरकार ने इसे नैतिक, आर्थिक व सामरिक समर्थन दिया। प्रारंभ में सलवा जुंडुम नक्सलवादियों के लिए एक बडी चुनौती बना, लेकिन बाद में सलवा जुंडुम से जुडे लोगों पर ही स्थानीय जनता के शोषण के आरोप लगने लगे। अर्थात् यह मुख्य विचारधारा से भटक गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गैर कानूनी बताते हुऐ, हथियार बंद सेना को अवैध या असंवैधानिक करार दिया। तब तात्कालिक सरकार ने उन्हें विशेष पुलिस का दर्जा देकर वैधानिक मान्यता दिलवाई। इसके बावजूद यह आंदोलन 2012 के बाद मृतप्राय दिखता है।

<u>इसकी विफलता के पीछे कारण थे –</u>

1. विचारधारा से भटकाव
2. नक्सलियों के मुखौटा संगठनों द्वारा इनका विरोध
3. नक्सलियों द्वारा सलवाजुडुम से जुडे युवाओं के बीच दुष्प्रचार
4. महेंन्द्र शर्मा की हत्या के बाद नेतृत्वहीनता
5. नेतृत्व का संघर्ष

उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद, अलगाववाद- नृजातीय संघर्ष

1. प्रारंभिक पृष्ठभूमि
2. उत्तर-पूर्वी राज्यों मे अलगांव के कारण (भारत से जुड ना पाने के कारण)
3. राज्यों की विशिष्ट समस्याऐ
4. समाधान ——— सामान्य प्रयास
   विशिष्ट प्रयास

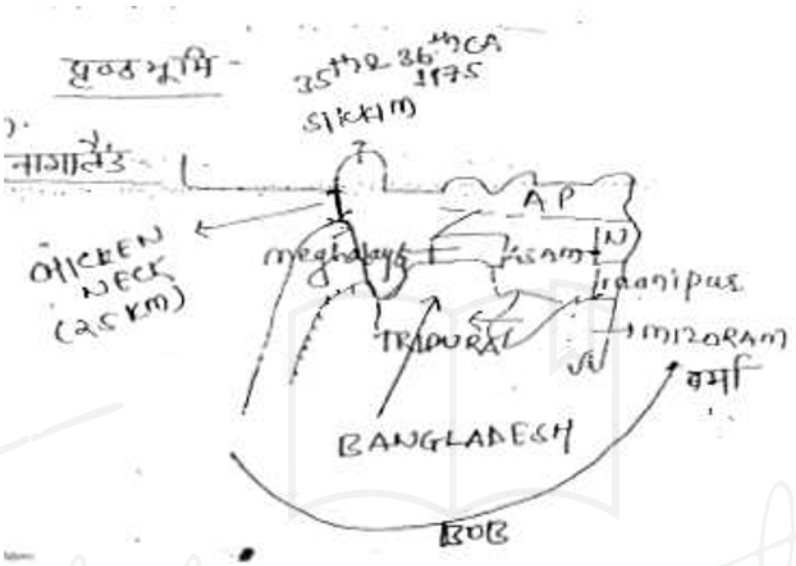

NEFA–Union Territory बनाई

ASAM

NAGALAND :–

Fillzo (फिजो) 1950 में नागा साम्राज्य के विलय को गलत बताया स्वतंत्र रियासत के लिए लडाई असम को अंदर या/ असम राज्यपाल ने नागालैंड को स्वायत्त जिले की स्वायत्ता दी

फिजो	V/s	लिब्बा
अलगदेश		अलग राज्य
NSCN		इन्होंने भारत सरकार के राज्य को स्वीकार कर दिया
National Sociatist Council Of Nagaland		1963 में पूर्ण राज्य

ग्रेटर नागालिंम की मॉग को लेकर संघर्ष शुरू किया

ASSAM नागा आदिवासी

Manipur

Nagaland

AP (Andra Pradesh)

इसाक मुहबा (IM) — खापलांग (K) — AP Southern NSCN

2001 में समझौता भारत सरकार द्वारा — गोरिल्लायुद्ध

NAGA ACCORA

आलोचना –
1. Fedrecasim में प्रहार
2. 2001 की तरह अन्य Acco. है यह –
3. इस Accord में सारे गुटों की सहमति नहीं है।

NSCN ने ULFAMCC माओ संबंध स्थापित कर लिया राष्ट्रविरोधी संबंध स्थापित करना शुरू किया

समाधान :–

1. इन सारे राज्यों के CM आपस में मिलकर ''पृथक'' प्रशासनिक क्षेत्र की स्वायत्ता दें – (Independent Territorial authority)
2. जितने भी संबंधित गुटों से अलग अलग बातचीत की जाए

मणिपुर –Jwell of East/ पूर्व का मोती
Petroleum & natural Resources
Tourism

– स्वतंत्रता के बाद से सबसे अशांत राज्य के रूप में जाना जाता है

1. नागा & कुकी Reservation निगी– No Reserration
2. सारी Population का सारा दबाव मैदानों पर है
   किंतु सरकार विशिष्ट क्षेत्र के रूप में पहाडो को प्राथमिकता देती है।
   निजी समुदाय –ECO - DEMOX तथा क्षेत्र में Inner Line Permit लागू किया गया।
3. नागा – नागालिम के साथ जाना चाह रहे हैं
   मणिपुर को अलग देश बनाना चाहिए
   क्योंकि युवा भी अलग राज्य चाह रहे थे –
   People Libraton army ये 1978 M. विश्वेश्वर ने

<u>AFSPA</u> :– Armed force special protection Act भी नहीं लगाया गया। सेना का कानून व राजनीतिक नेतृत्व का अभाव।

<u>MPLA</u> :–

Manipur Peoples Libration army

–15 संगठनों ने आपस में मिलकर

–मणिपुर पर इसमें हमला किए गए जिससे ये भागकर बांग्लादेश चले गए बांग्लादेश में सेना ने आक्रमण किया।